[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 6/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **28** जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुसे संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 50 90, 3904 69 90, 3904 90 00 और 3904 69 10 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 6/25/2017-डीजीएडी, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018, जिसे दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि–

(क) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई ।

(ख) विषयत देश से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है और यहां काफी मंदी आई है ।

(ग) उक्त क्षति विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात के कारण हुई है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क (18 महीने के लिए) लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) और (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में क्रमश: मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम 10 में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	वस्तु का विवरण*	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	इंनर मंगोलिया 3F वांगहाओ फ्लूओरो कैमिकल कं. लि.	शंघाई हुआई 3F न्यू मैटीरियल सेल्स कं.लि.	3.85	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
2.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	मैसर्स सोलवे स्पेशीयलटी पोलिमर्स (चांगशू) कं.लि.	मैसर्स सोलवे स्पेशीयलटी पोलिमर्स (चांगशू) कं.लि.	4.24	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
3.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	चेंगगुआंग फ्लूओरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं.लि.	चेंगगुआंग फ्लूओरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं.लि.	3.6	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
4.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	डायकिन फ्लूओरो केमिकल्स (चीन) कं.लि.	यूनि एलायंस लिमिटेड	0.078	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
5.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	झोंगघाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कैमिकल इं. कं. लि.	झोंगघाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कैमिकल इं. कं. लि.	3.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
6.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 और 5 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		7.31	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
7.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	7.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

8.	39045090, 39046990, 39049000, **या** 39046910	फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन	कोई भी	कोई भी	7.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

*FKM कंपाउंड और पर फ्लूओरोइलास्टोर्म (FFKM) को उक्त विषय वस्तु के दायरे से बाहर रखा गया है ।

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या - 354/10/2019 –टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार